सहायता प्राप्त करने हेतु अपनी जिला-वार सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ङ) विश्व बैंक वारा सहायता-प्राप्त जिला-वार सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(ग) इस समय विश्व बैंक सहायता से बहु राज्य बांध सुरक्षा प्रत्याभूति और पुनर्वास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को सहभागी राज्य होने के कारण 139.85 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होनी है। तथापि, जिलावार आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि परियोजना का लक्ष्य पूरे राज्य में विद्यमान संरचनाओं के उपचारों उपाय समग्र रूप से करना है।

भारतीय भाषाओं के माध्यम से उत्तर देने के विकल्प का प्रावधान किया जाना

1901. **श्री सोमपाल**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी तकनीकी, वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम से उत्तर देने का विकल्प उपलब्ध कराया जाना सरकारी नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परीक्षाओं में अब तक ऐसी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है और इस सुविधा से कितने प्रवेशार्थियों को लाभ मिला है और उनमें से कितने सफल हुए हैं;

(ग) सरकार ने कितनी परीक्षाओं में अब तक यह विकल्प नहीं दिया है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सभी परीक्षाओं में यह सुविधा कब तक प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ङ) जहां तक केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित व्यावसायिक संस्थाओं का संबंध है, अंग्रेजी के अलावा परीक्षाओं के माध्यम के लिए विकल्प प्रदान करने की सुविधा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे० ई० ई०) के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई० आई० टी०) में दाखिले के लिए विद्यमान है। वर्ष 1991-95 के दौरान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उन सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता जिन्होंने अंग्रेजी के अलावा परीक्षा के माध्यम के लिये विकल्प दिया था, 1.93 है।

राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिला मानदंड तथा क्रियाविधि, सम्बन्धित राज्य सरकारों की नीतियों' के अनुसार अधिशसित किए जाते हैं।

Extension of ship breaking facilities at Gujarat Coast

1902. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether there has been a steady rise in the number of ocean going vessels condemned unserviceable and broken all over the world and if so, the number of Indian vessels broken during the last year;

(b) what has been India's share in ship-breaking and whether Government have evolved any plans to expand the existing ship-breaking facilities at Gujarat Coast (Alang); and

(c) whether in view of its ideal location, existing infrastructure and availability of skilled manpower, Government will consider upgrading New Mangalore Port to include ship-breaking facilities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTERY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) and (b) According to the statistics published by the Lloyds' Register, Londan the position regarding number of ships broken all